

# गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मु.नं 81/17 तारीख रजु 8-11-17

उजवाज - व्यनसी बनाम शिवलाल वैश्या  
त्रिसूल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत  
धारा 21 के अन्तर्गत

प्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। जमा बन्दी व शाप पत्र प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र रजिस्ट्र कर अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को जारिये नोटिस से तलव किया जावे पत्रावली दिनांक 19.12.17 को पेश हो।

  
ज. क. आर्य  
उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम

6/11/25  
9/11/17  
कोरनापल्ल 5  
dm

19.12.17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अर्थात् नं. 5 की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा एडव. ने प्रार्थना पत्र पेश किया। अर्थात् नं. 1, 2, 3 का बजूद सूचना उपस्थित नहीं है। उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। अर्थात् नं. 4, 6, 7, 8 के नोटिस अदम्य तारीख प्राप्त हुए हैं। इनके नोटिस तलवाना सही पते पर रजि. अड प्रस्तुत करें। अर्थात् नं. 5 का वकालतनामा व जबाब पेश हो। दिनांक 16.1.18 को पेश हो।

16.1.18

सकल लाय उप। अर्थात् नं. 5 का वकालतनामा पेश कर जबाब पेश होने समय प्रार्थना पत्र पेश करने दिनांक 14.2.18 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलक्टर दो

दिनांक	फर्द अहकाम
26.8.19	<p>वकुलाय स्थित/पीठासन अधिकारी हावकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 16.9.19 को पेश हो।</p>
16.9.19	<p>वकील उपपक्ष उप०। वकील उपपक्ष ने प्रार्थनापत्र 01 R.10 <del>का</del> CPC पर बहल हेतु समप आटा/पत्र में अप्रार्थी नं. 4, 6, 7, 8 के जोरिस करते तलवी पेश नही किये जा रहे थे प्रार्थी वकील को हिराफर की जाती है कि 3 दिन में सही व पूर्ण पत्र पर जोरिस तलवाना पेश करे। अन्यथा प्रकरण में ऊके 9 नियम 5 CPC के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली दिनांक 3.10.19 को पेश हो।</p>
3.10.19	<p>वकुलाय उप०। प्रार्थी वकील ने अप्रार्थी नं. 4, 6, 7, 8 का सही पता ज्ञात कर तलवाना पेश करने के लिए 7 दिन का समय वाला हुनक (न्यायदित) में आवल दिया जाता है वास्ते तलवाना पेश करने दिनांक 11.10.19 को पेश हो।</p>
11.10.19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं थे कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी वकील में से कोई उपस्थित नहीं थे अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेधाना अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली कैसल सुमार होकर नम्बर से काम होकर दाया पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p>

उपजिला कलक्टर  
मोडाभीम (करौली)